Presentation of 30th to 32nd Reports of Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

डॉ**. (**प्रो**.)** किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी **(**अहमदाबाद पश्चिम**):** महोदय, मैं अनुसूचति जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) ?अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के विशेष संदर्भ में ?अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालय आदि सहित स्वायत्तशासी निकायों/शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका? विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समति के 15 वें प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी 30 वां प्रतिवेदन ।

(2) ?दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के विशेष संदर्भ में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन? विषय के बारे में 31 वां प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) ।

(3) ?निर्धारित समयावधि में जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के विशेष संदर्भ में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन? विषय के बारे में 32 वां प्रतिवेदन ।

____

माननीय सभापति **:** श्री जगदम्बिका पाल जी ।

? (व्यवधान)

12.06 hrs